तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज रैफरेंस संख्या 7/2013 सरकार बनाम चरनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22.11.2017	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार रूपवास से मण्डल के निर्णय दिनांक 21.1.2013 के परिपेक्ष्य में वांछित रिपोर्ट मय दस्तावेजात की तलबी में काफी लम्बे अर्से से लम्बित है। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा बार–बार लिखे जाने के उपरान्त भी प्रार्थी तहसीलदार रूपवास की ओर से कोई कार्यवाही न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी का ही रहता है। करीब पांच वर्षों से भी अधिक समय से प्रार्थी/पैरोकार सरकार को लगातार ताकीद किये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से पेश की जाने वाली मण्डल के निर्णय दिनांक 21.1.2013 के परिपेक्ष्य में वांछित रिपोर्ट मय दस्तावेजात के अभाव में प्रकरण काफी अर्से से लम्बित चल रहा है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज योग्य ही रहता है। अतः तहसीलदार वैर को हिदायत देते हुये कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मण्डल के निर्णय दिनांक 21.1.2013 के परिपेक्ष्य में पुनः प्रार्थनापत्र रैफरेंस प्रस्तुत किये जाने की स्वतन्त्रता के साथ यह प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानो के तहत इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति संबधित तहसीलदार को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को सुनाया गया। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **भरतपुर**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official